निदेशक कैम्प
संख्या 390/G
दिनांक 05/06/18

संख्या–1225/60–1–2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 दिनांक : लखनऊ : 01 मई, 2018

महोदया,

कृपया जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र सं0–358–59/जि0प्रो0का0/रा0म0श0–स्वी0/2018–19, दिनांक 30 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद वाराणसी में स्थित राजकीय सुधार गृह (महिला) को राजकीय महिला शरणालय के रूप में संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में स्थित राजकीय सुधार गृह के भवन में राजकीय महिला शरणालय संचालित किए जाने तथा उक्त भवन में राजकीय महिला शरणालयों से जहाँ पर स्वीकृत क्षमता से अधिक संवासिनियाँ आवासित हैं, में से 75 संवासिनियों को उक्त राजकीय महिला शरणालय, वाराणसी में स्थानान्तरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। निदेशक,महिला कल्याण राजकीय सुधार गृह के लिए अलग से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,
01/6/18
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः (1)/60–1–2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी,वाराणसी/बरेली/लखनऊ/मेरठ/इलाहाबाद/कानपुर नगर/मुरादाबाद/फैजाबाद/इटावा/गोरखपुर/आगरा ।
3. जिला प्रोबेशन अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, वाराणसी/बरेली/लखनऊ/मेरठ/इलाहाबाद/कानपुरनगर/मुरादाबाद/फैजाबाद/इटावा/गोरखपुर/आगरा ।

4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3।
7. सम्बन्धित संस्था अध्यक्ष।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3
संख्या–281/60–3–10–13(69)/03
लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 महिला कल्याण निदेशालय के नियंत्रण में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 06 जिला शरणालय, फैजाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद,मथुरा, इटावा एवं बरेली) तथा 03 राजकीय महिला संरक्षण गृह, मेरठ, गोरखपुर, लखनऊ में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की महिलाओं को निरुद्व नहीं किया जायेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्व की जाने वाली महिलाओं हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–1315/60–3–10–13 (69)/03, दिनांक 1.10.10 द्वारा राजकीय संरक्षण गृह आगरा एवं राजकीय सुधार गृह, वाराणसी को घोषित किया जा चुका है।

2– राजकीय महिला शरणालय एवं राजकीय संरक्षण गृह जिनका नाम राजकीय महिला शरणालय संशोधित करते हुए अब केवल भारतीय दण्ड संहिता में वांछित साक्ष्य हेतु प्रस्तुत की जाने वाली पीड़ित महिलाओं एवं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत महिलाओं को आश्रय प्रदान करने एवं जरुरतमंद भटकी हुई नैतिक संकट से ग्रसित संरक्षण की आवश्यकताओं वाली महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जायेगा। इन संस्थाओं के नाम एवं कार्य क्षेत्र को संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0 सं0	संस्था का पूर्व नाम/जनपद	संस्था का वर्तमान नाम एवं जनपद	अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत महिलायें निरुद्व की जायेंगी	वर्तमान कार्य क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	रा0 संरक्षण गृह, (महिला) मेरठ।	रा0 महिला शरणालय, मेरठ।	1. भारतीय दण्ड संहिता में वांछित साक्ष्य की महिलायें। 2. घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं को आश्रय प्रदान करना। 3. जरुरतमंद भटकी हुई नैतिक संकट से ग्रसित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना।	मेरठ, सहारनपुर मण्डल एवं उनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।
2	रा0 संरक्षण गृह, (महिला) गोरखपुर।	रा0 महिला शरणालय, गोरखपुर।	–तदैव–	गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ मण्डल एवंउनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।
3	रा0 संरक्षण गृह, (महिला)लखनऊ।	रा0 महिला शरणालय, लखनऊ।	–तदैव–	लखनऊ एवं उनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।
4	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला)फैजाबाद	रा0 महिला शरणालय, फैजाबाद।	–तदैव–	फैजाबाद, गोण्डा एवं उनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।
5	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला) मुरादाबाद।	रा0 महिला शरणालय, मुरादाबाद।	–तदैव–	मुरादाबाद एवं उनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।

6	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला) इलाहाबाद।	रा0 महिला शरणालय, इलाहाबाद।	–तदैव–	इलाहाबाद,मिर्जापुर,वाराणसी एवं उनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।
7	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला) मथुरा।	रा0 महिला शरणालय, मथुरा।	–तदैव–	आगरा, अलीगढ़ मण्डल एवं उनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।
8	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला) इटावा।	रा0 महिला शरणालय, इटावा।	–तदैव–	इटावा एवं उनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।
9	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (महिला)बरेली।	रा0 महिला शरणालय, बरेली।	–तदैव–	बरेली एवं उनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।
10	रा0 महिला आश्रम,कानपुर।	रा0 महिला शरणालय, कानपुर।	–तदैव–	कानपुर,झाँसी मण्डल,चित्रकूट मण्डल एवं उनके अन्तर्गत आच्छादित जनपद।

2– उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त मा0 न्यायालयों एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता में वांछित साक्ष्य हेतु प्रस्तुत की जाने वाली पीड़ित महिलाओं एवं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 06 के अन्तर्गत महिलाओं को आश्रय प्रदान करने एवं जरुरतमंद भटकी हुई नैतिक संकट से ग्रसित संरक्षण की आवश्यकताओं वाली महिलाओं का स्थानान्तरण एक गृह से दूसरे गृह में किया जा सकेगा।

3– इस विषय पर पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–3593/60–3–03–13(69)/03, दिनांक 3जनवरी,2004 को उक्त स्तर तक संशोधित समझा जाये।

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या–281(1)/60–3–11तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जिला प्रोबेशन अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,महिला कल्याण,उ0प्र0,लखनऊ।
3. निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0,लखनऊ को असाधारण गजट में प्रकाशन हेतु।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(भवनाथ)
विशेष सचिव।